न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 22/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2014/00019

वादीया
बादली पुत्री धीरा पत्नी हराराम
जाति–मेघवाल, निवासी–कारोला,
हाल झेरडिया वास, सांचौर,

प्रतिवादीगण
1 रामरथाराम पुत्र धीरा
2 टीकमाराम पुत्र धीरा
3 केशाराम पुत्र धीरा
4 रिड़मलराम पुत्र धीरा
5 प्रभुराम पुत्र धीरा
जातियान–मेघवाल, साकिनान्–
कारोला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
6 शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. बैंक, शाखा–
सांचोर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
7 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.02.2014

उपस्थिति :–

1. वादीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलिप कुमार बिश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 14.07.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि गांव कारोला के खेत खसरा संख्या 1814 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1815 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1816 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1817 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1818 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1819 रकबा 8.45 हैक्टेयर कुल खसरा 6, कुल रकबा 8.62 हैक्टेयर आराजी आई हुई है। उक्त [illegible] नामान्तरकरण संख्या 336 के जरिये धीरा वल्द मेगा के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। इस प्रकार वह आराजी पैतृक [illegible] जो धीरा के फौत होने पर [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। खातेदारी के अलावा [illegible] खातेदारी खसरा संख्या 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 में धीरा के फौत होने पर धीरा के कानूनी वारिसान् वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के नाम नामान्तरकरण खोला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

जाकर उक्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। वादीया धीरा की पुत्री होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार के तहत धीरा की संपति में वादीया का हक हिस्सा बनता है। आर.टी.एक्ट की धारा 40 के तहत पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के साथ साथ वादीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 ने हल्का पटवारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सांठ गांठ कर खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में वादीया का नाम दर्ज नहीं किया जबकि अन्य खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 में वादीया का नाम भी प्रतिवादीगण के साथ साथ धीरा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में भी वादीया धीरा की पुत्री होने के कारण राजस्व रेकर्ड में अपने हक हिस्से में आई भूमि में खातेदार घोषित करवाने की वादीया अधिकारिणी होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा का पेश है। वादीया धीरा की पुत्री है तथा धीरा की संपति में हिन्दू उतराधिकार के तहत अपना हक हिस्सा रखती है। प्रतिवादीगण बिना किसी आधार के वादीया को उसके हक हकूकों से वंचित करने के अधिकारी नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीया को उसके हक हकूकों से वंचित करते हुए विवादित संपति खाता संख्या 356 की भूमि अपने नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज करवा दी जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के साथ साथ वादीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था। वादीया को उसके हक हकूकों से वंचित किया गया है, जिससे मजबूर होकर वादीया अपने अधिकारों की घोषणा के लिए माननीय अदालत में आई है। वादीया अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने के बाद हक हिस्से में आई भूमि का बिना किसी बाधा एवं अवरोध के उपयोग उपभोग करने की वादीया अधिकारिणी होने से दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। विनायवाद उस समय पैदा हुआ जब धीरा के फौत होने पर वादीया का नाम प्रतिवादीगण के साथ धीरा की पुत्री होने के बावजूद भी दर्ज नहीं किया। वादीया ने राजस्व रेकर्ड की नकले तारीख 12.02.2014 को हल्का कारोला से प्राप्त की, तब ज्ञात हुआ कि उक्त विवादित संपति में वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया है। बिनायवाद विनाय मुखास्मात तारीख से निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है कि खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 सादिर फरमावें।

वादीया द्वारा उपरोक्त वाद दिनांक 18.02.2014 को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] कारोला के खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 की आराजी नामान्तरकरण संख्या 336 से केसाराम, टीकमाराम, प्रभुराम, रिड़मलराम, समरथाराम पुत्र धीराराम [illegible] प्राप्त हुई है। वादीया ने वाद पत्र में खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 किस गांव के है तथा किस नामान्तरकरण के जरिये म्यूटेशन खोला गया है उल्लेख नहीं किया है। वर्तमान में ग्राम कारोला पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

कारोला में खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 के नाम से कोई खातेदारी खेत नहीं आये हुए है। वादीया ने गलत खातेदारी खेत का दावा पेश किया है। ग्राम कारोला के खेत खसरा नंबर 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 की खातेदारी केसाराम, टीकमाराम, प्रभुराम, रिड़मलराम, समरथाराम पुत्र धीराराम, कौम–मेघवाल, निवासी–कारोला के नाम से आई हुई है। धीरा की कोई बादली नाम की पुत्री नहीं थी। धीरा के 5 पुत्र है। बादली नाम की कोई पुत्री नहीं है इसलिए केसाराम, टीकमाराम, प्रभुराम, रिड़मलराम व समरथाराम की खातेदारी में किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। ग्राम कारोला में वर्तमान में खसरा नंबर 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 की खातेदारी हम प्रतिवादीगण के नाम से है। हमारी कोई बादली नाम की बहिन नहीं थी इसलिए उसका हक नहीं बनता है तथा न ही वर्तमान समय में ग्राम कारोला में कोई 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 के नाम से खातदेारी खेत आये हुए है। वादीया ने वाद पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि मुझे इन खसरा नम्बरान में किस म्यूटेशन के जरिये नाम खोला गया। यदि बादली का नाम किसी जमाबन्दी में खोला गया है तो वह गलत है क्योंकि हमारे कोई बादली नाम की बहिन नहीं थी। स्व. धीरा के वारिसान मात्र हम पांच पुत्र है। हम प्रतिवादीगण मेघवाल जाति से है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। हमारे पर हिन्दू उतराधिकार विधिक लागू नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई प्रकरणों में कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर काश्तकारी मामलों में हिन्दू उतराधिकार विधि व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दायरे काफी सीमित है। वादीया हमारी बहिन नहीं है इसलिए हमारी जमीन में उसका कोई हक नहीं बनता है। वादीया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कोई अधिकारी नहीं है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर पेश करने से काबिल खारिज योग्य है। धीरा के फौत होने पर ग्राम कारोला के खेत खसरा नंबर 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 का नामान्तरकरण बिल्कुल सही भरा गया तथा उनके वास्तविक उतराधिकारी पांचों पुत्रों के नाम से खोला गया। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद खारिज फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 जवाब पेश करना नहीं चाहते है अतः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जवाब अवसर बन्द किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद एवं जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया ग्राम कारोला, तहसील–सांचौर में स्थित [illegible] नवीन खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में वादीया धीरा की पुत्री होने से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)
2. आया उक्त आराजी में वादीया अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण के खिलाफ दखलंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। (जिम्मे वादीया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

3. आया मृतक धीरा पुत्र मेगा के बावली नाम की कोई पुत्री नहीं होने से वादीया का वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3)

4. आया वादीया अनुसूचित जाति वर्ग की होने से वादीया पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3)

5. दादरसी

प्रकरण में वादीया ने अपनी ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1, पेश कर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये जो खतौनी बंदोबस्त 2012 प्रदर्श–1 है, जमाबन्दी संवत् 2030 प्रदर्श–2 है, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–3 है, द्वितीय मिशल बंदोबस्त प्रदर्श–4 है, जमाबंदी संवत् 2069 प्रदर्श–5 है, जमाबंदी 2067 प्रदर्श–6 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श–7 है, जमाबंदी संवत् 2067 प्रदर्श–8 है, नक्शा ट्रैस प्रदर्श–9 पेश किये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जिरह पूर्ण कर साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीया ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि गांव कारोला के खसरा संख्या 1814 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1815 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1816 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1817 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1818 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1819 रकबा 8.45 हैक्टेयर कुल खसरा 6, कुल रकबा 8.62 हैक्टेयर आराजी आई हुई है। उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 336 के जरिये धीरा वल्द मेगा के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। इस प्रकार वह आराजी पैतृक संपति है, जो धीरा के फौत होने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। खातेदारी के अलावा अन्य खातेदारी खसरा संख्या 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 में धीरा के फौत होने पर धीरा के कानूनी वारिसान् वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर उक्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। वादीया धीरा की पुत्री होने के कारण हिन्दू उतराधिकार के तहत धीरा की संपति में वादीया का हक हिस्सा बनता है। आर.टी.एक्ट की धारा 40 के तहत पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के साथ साथ वादीया का भी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 ने हल्का पटवारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सांठ गांठ कर खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में वादीया का नाम दर्ज नहीं किया जबकि अन्य खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 में वादीया का नाम भी प्रतिवादीगण के साथ साथ धीरा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया है। इस प्रकार खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में भी वादीया धीरा की पुत्री होने के कारण राजस्व रेकर्ड में अपने हक हिस्से में आई भूमि में खातेदार घोषित करवाने की वादीया अधिकारिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Scanned with CamScanner

होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर डिक्री जारी फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीया ने वादपत्र में खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 किस गांव के है तथा किस नामान्तरकरण के जरिये म्यूटेशन खोला गया है उल्लेख नही किया है। वर्तमान में ग्राम कारोला पटवार हल्का कारोला में खसरा नंबर 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 के नाम से कोई खातेदारी खेत नहीं आये हुए है। वादीया ने गलत खातेदारी खेत का दावा पेश किया है। ग्राम कारोला के खेत खसरा नंबर 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 की खातेदारी केसाराम, टीकमाराम, प्रभुराम, रिड़मलराम, समरथाराम पुत्र धीराराम, कौम–मेघवाल, निवासी–कारोला के नाम से आई हुई है। धीरा की कोई बादली नाम की पुत्री नहीं थी। अतः वाद वादीया खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है :–

1. **<u>तनकी संख्या 01 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर होने से इस संबंध में वादीया ने खतौनी बंदोबस्त 2012, जमाबंदी संवत् 2030, मिलान क्षैत्रफल, द्वितीय मिशल बंदोबस्त, जमाबंदी संवत् 2069, जमाबंदी संवत् 2067, नक्शा ट्रैश पेश किये जिसमें जमाबंदी संवत् 2067–2070 के खसरा संख्या 2277, 2278, 2279, 2318, 2319 में वादीया का नाम प्रतिवादीगण के साथ साथ धीरा के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार धीरा की जायन्दा पुत्री होने पर हिस्सा 2/3 दर्ज किया गया था। ऐसी सुरत में वादीया उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा कारोला के नवीन खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 में खातेदारी पाने की अधिकारी होने से तनकी संख्या 01 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व निर्णित की जाती है।
2. **<u>तनकी संख्या 02 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादीया पर होने से उक्त वादग्रस्त आराजी वादीया की पुश्तैनी आराजी होना साबित है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीया का होना साबित होने से वादीया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की हकदार होने से उक्त तनकी संख्या 2 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के [illegible]त की जाती है।
3. **<u>तनकी संख्या 03 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पर होने से इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जावें कि वादीया [illegible] पुत्र मेगा की पुत्री नहीं है तथा साथ ही वादीया द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–8 संवत् 2067–2070 में वादीया बतौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदार 2/3 हिस्सा दर्ज है तथा उक्त दस्तावेज से वादीया धीरा की पुत्री होना साबित है। ऐसी सूरत में दस्तावेजात् एवं साक्ष्य के अभाव में तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्व तथा वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. <u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पर होने से प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा रूलिंग पेश नहीं की गई है जिससे यह माना जावें कि वादीया अनुसूचित जाति वर्ग की होने से वादीया पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 04 भी प्रतिवदीगण के विरूद्व तथा वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

फलतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से तनकी संख्या 01 लगायत 04 वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व निर्णित होने से वादीया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोला के नवीन खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 जुमले रकबा 8.62 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा अनुसार रकबा 1.43 हैक्टेयर की खातेदारी वादीया के नाम घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा कारोला के उपरोक्त खसरा नंबरान् की कुल आराजी 8.62 हैक्टेयर में से 1.43 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादीया के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। इस आशय की पृथक से तहरीर जारी हो, तदनुसार डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **14.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें ऐकबादाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 22/2024
सी.सी.एम.एस. नंबर :– 2014/00019

वादीया

बादली पुत्री धीरा पत्नी हराराम
जाति–मेघवाल, निवासी–कारोला,
हाल झेरडिया वास, सांचौर,

प्रतिवादीगण

1 समरथाराम पुत्र धीरा
2 टीकमाराम पुत्र धीरा
3 केशाराम पुत्र धीरा
4 रिड़मलराम पुत्र धीरा
5 प्रभुराम पुत्र धीरा
जातियान–मेघवाल, साकिनान्–
कारोला, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
6 शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. बैंक, शाखा–
सांचोर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
7 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.02.2014

वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोला के नवीन खसरा संख्या 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 जुमले रकबा 8.62 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा अनुसार रकबा 1.43 हैक्टेयर की खातेदारी वादीया के नाम घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा कारोला के उपरोक्त खसरा नंबरान् की कुल आराजी 8.62 हैक्टेयर में से 1.43 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रेकर्ड में वादीया के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। इस आशय की पृथक से तहरीर जारी हो, तदनुसार डिक्री पर्चा मुरतिब हो।

मौजा–कारोला मुवलिंग बाबत् खर्चा [illegible] आलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **14.0[illegible]025** को जारी की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
सांचोर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर

Scanned with CamScanner

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालात नामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	~~00~~	~~00~~
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	00	00
मुतफरिक	00				
मौजाना	03	00	मौजाना	01	00

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रैक)
सांचौर, जिला—जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner